::निर्णय::

Reg.No. SUM/ 1316/2026

(आज दिनांक 19.08.2026 को घोषित)

01— अभियुक्त अनिल पिता बाबूलाल जाति नायक उम्र 35 वर्ष, नि.- रहीमपुरा को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अन्तर्गत निर्मित अपराध विवरण पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त के अभिवाक् को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अपराध के लिये दोषसिद्व ठहराया जाता है।

02— प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) (क) के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 800/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

03— अर्थदंड अदा नही करने पर अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे ।

04— प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन संपत्ति होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे ।

स्थान : खरगोन

दिनांक: 19.08.2026

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन
पश्चिम निमाड़ (मंडलेश्वर)